मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत 'हर घर जल' के सम्बन्ध में आहूत की गई समीक्षा बैठक दिनांक 24.03.2026 का कार्यवृत्त/दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश बिन्दु।

दिनांक 24.03.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 'हर घर जल' के सम्बन्ध में प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, टीम लीडर, टी0पी0आई0 तथा चयनित एजेंसी मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि0 एवं रैमकी (जे0वी0), हैदराबाद, मेसर्स वी0एस0ए0–एस0सी0एल0 (जे0वी0), हैदराबाद, मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि0, मुम्बई, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक लि0,–गाजा इंजीनियरिंग प्रा0लि0 (जे.वी.), नोएडा–201301 (उ0प्र0) के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में की गई चर्चा एवं दिए गए निर्देशानुसार सभी सम्बन्धित अधिकारी को निम्न बिन्दुओं पर तत्काल अपेक्षित कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अयोध्या में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु कार्यरत एजेन्सियों को कराये गये कार्यों का भुगतान प्राप्त हो गया है। वर्तमान में भुगतान की कोई समस्या नही है।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अयोध्या में 1144 राजस्व ग्रामों हेतु 535 नग पेयजल योजनाओं में से 308 नग पेयजल योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं, जिसमें से 235 नग योजनाओं का रख–रखाव एवं संचालन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 540 नग शिरोपरि जलाशय से सापेक्ष 430 नग का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, अवशेष शिरोपरि जलाशय के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। साथ ही 354 नग योजनाओं के 687 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गई है।
- विकासखण्ड–मया बाजार के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि शेरवाघाट पेयजल योजना में पानी टंकी बनाने हेतु जो भूमि उपलब्ध करायी गई थी वह भूमि जनपद–बस्ती एवं अयोध्या मध्य बटवारे के विवाद के कारण पेयजल योजना का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं पा रहा है। बनगांव पेयजल योजना में शिरोपरि जलाशय हेतु प्रस्तावित भूमि पर ग्रामीणों द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। जिसके संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या द्वारा निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर भूमि विवाद का निस्तारण कराते हुए शीघ्र कार्य प्रारम्भ करायें।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा जानकारी चाही गई कि वर्तमान तक कितनी पेयजल योजनाओं पर भूमि विवाद शेष है। जिसके संबंध मे अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 08 पेयजल योजनाओं पर द्वितीय नलकूप हेतु भूमि विवाद है, जिसमें मसौधा में 04 पेयजल योजना नामतः फिरोजपुर भदोखर, हाजीपुर सिंहपुर, हरीपुर जलालाबाद एवं कोटसराय, मया बाजार में 04 पेयजल योजना नामतः अमसिन, गौहनियां, समदा एवं अंकारीपुर, मिल्कीपुर में परसवां पेयजल योजना एवं सोहावल में पिरखौली पेयजल योजना तथा मया बाजार में शेरवाघाट पेयजल योजना में प्रथम नलकूप की भूमि पर विवाद है। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा तत्काल संबंधित उपजिलाधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से भूमि विवाद निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया एवं नामित सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि जहां पर भूमि विवाद का निस्तारण करा लिया गया है वहां पर तत्काल बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करायें जिससे भविष्य में पुनः विवाद उत्पन्न न हो।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि 03 पेयजल योजनाओं पर वर्तमान तक शिरोपरि जलाशय निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है, नामतः 1. शेरवाघाट, विकासखण्ड– मया बाजार, 2. तिहुरा मांझा, विकासखण्ड–पूरा बाजार एवं 3 गयासुद्दीनपुर, विकासखण्ड–हरिग्टनगंज, जिनका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि 535 नग पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 592 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 576 नग, 592 नग पम्पहाउस के सापेक्ष 512 पम्पहाउस, 592 नग बाउण्ड्रीवाल के सापेक्ष 531 नग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 10657 किमी0 पाइप लाइन के सापेक्ष 10171 किमी0 पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है तथा 333584 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 327962 नग का कार्य पूर्ण है।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन का जो भी कार्य अवशेष है उसे एक माह में पूर्ण करायें एवं पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु हेतु खोदी गई सड़क के मरम्मत का कार्य 45 दिवस में पूर्ण करायें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर कराकर जेल भेजा जायेगा, जिसके सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर (जल निगम) को भी निर्देश दिया गया कि पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु काटी गई सड़कों का निरीक्षण कर रेस्टोरेशन का कार्य सुनिश्चित करायें।
- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अयोध्या में जलार्पण का कार्य मा0 विधायक एवं ग्राम प्रधान की उपस्थिति में 11 योजनाओं में कराया जा चुका है। जल सेवा आंकलन का कार्य ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से कराया जा रहा है।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा टी0पी0आई0 के टीम लीडर से जानकारी चाही गयी कि उनके द्वारा पूर्ण कर ली गई योजनाओं में नियमित जलापूर्ति एवं प्रेशर चेक किया जा रहा है अथवा नहीं एवं उक्त कार्य हेतु आपके पास मैन पावर की संख्या कितनी है एवं साथ ही यह भी जानकारी चाही गई कि प्रतिदिन आपके द्वारा कितनी योजनाओं में उक्त जांच की जा रही है । जिस पर टी0पी0आई0 के टीम लीडर श्री रोहित कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि टी0पी0आई0 के पास उक्त कार्य हेतु 09 मैन पावर हैं जिन्हें ब्लॉक वार नियमित जलापूर्ति एवं प्रेशर के जांच का कार्य आवंटित किया गया है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिया गया कि अगामी बैठक में 15000 व्यक्तियों से उक्त जांच की वार्ता करते हुए उनकी सूची मोबाइल नम्बर सहित प्रस्तुत करें।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा जानकारी चाही गयी कि रख–रखाव एवं संचालन में भेजी जा रही योजनाओं में ग्राम प्रधान की अनुमति ली जा रही है अथवा नहीं, जिस पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त योजनाओं का ट्राईपार्टाइट एग्रीमेन्ट कराने के पश्चात ही रख–रखाव एवं संचालन हेतु भेजा जा रहा है।

<u>एजेंसीवार प्रगति की समीक्षा की गई जिसका विवरण निम्न है –</u>

1. मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि0, मुम्बई की योजनावार समीक्षा बैठक में पाया गया कि –

* फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि 164 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 164 नग, 164 नग पम्पहाउस के सापेक्ष 161 नग, 164 नग बाउण्ड्रीवाल के सापेक्ष 161 नग, 159 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 137 नग, 2311 किमी0 पाइप लाइन के सापेक्ष 2347 किमी0 पाइप लाइन का कार्य तथा 116908 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 104738 नग का कार्य पूर्ण है, 148 नग पेयजल योजनाओं के 263 नग राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की की जा रही है। 139 नग पेयजल योजनाएं रख–रखाव एवं संचालन कार्य हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं।

* अधोहस्ताक्षरी द्वारा जानकारी चाही गई कि समस्त शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य अभी तक क्यों नही पूर्ण कराया जा सका। जिसके सम्बन्ध में प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त अवशेष शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ है जिसे आगामी एक से दो माह में पूर्ण करा लिया जायेगा।

* अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रगति कम है, जिसे आईएसए के सहयोग से करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

2. मेसर्स वी0एस0ए0–एस0सी0एल0 (जे0वी0), हैदराबाद की योजनावार समीक्षा बैठक में पाया गया कि –

* फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि 328 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 315 नग, 328 नग पम्पहाउस के सापेक्ष 260 नग, 328 नग बाउण्ड्रीवाल के सापेक्ष 279 नग, 296 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 204 नग, 7077 किमी0 पाइप लाइन के सापेक्ष 6568 किमी0 पाइप लाइन का कार्य तथा 189415 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 187387 नग का कार्य पूर्ण है, 138 नग पेयजल योजनाओं के 306 नग राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की की जा रही है। 63 नग पेयजल योजनाएं रख–रखाव एवं संचालन कार्य हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं।
* अधोहस्ताक्षरी द्वारा शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य में धीमी प्रगति के सम्बन्ध फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर के प्रति रोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि आप द्वारा प्रत्येक बैठक में आश्वासन दिया जाता है कि शीघ्र अवशेष शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा परन्तु अपेक्षा पूर्ण प्रगति प्रदर्शित नही हो रही है, के संदर्भ में निर्देश दिया गया कि आगामी 10 दिनों में समस्त शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायें अन्यथा आपके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर जेल भेज दिया जायेगा।

3. मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक लि0,–गाजा इंजीनियरिंग प्रा0लि0 (जे.वी.), नोएडा की योजनावार समीक्षा बैठक में पाया गया कि –

* फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि 54 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 54 नग, 54 नग पम्पहाउस के सापेक्ष 53 नग, 54 नग बाउण्ड्रीवाल के सापेक्ष 53 नग, 49 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 47 नग, 854 किमी0 पाइप लाइन के सापेक्ष 822 किमी0 पाइप लाइन का कार्य तथा 26082 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 25035 नग का कार्य पूर्ण है, 26 नग पेयजल योजनाओं के 73 नग राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की की जा रही है। 18 नग पेयजल योजनाएं रख–रखाव एवं संचालन कार्य हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं।
* अधोहस्ताक्षरी द्वारा जानकारी चाही गई कि रख–रखाव एवं संचालन कार्य हेतु प्रेषित की गई पेयजल योजनाओं की संख्या कम क्यों है। जिसके संबंध में फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि 11 अन्य योजनाओं की सूची टी0पी0आई0 को उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त 11 नग योजनाओं की स्थिति के संबंध में जानकारी चाही गई, जिसके सम्बन्ध टीम लीडर, टी0पी0आई0 द्वारा सही जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया गया कि उक्त 11 नग योजनाओं का निरीक्षण कर आख्या अग्रसारित करें।

4. मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि0 एवं रैमकी (जे0वी0), हैदराबाद की योजनावार समीक्षा बैठक में पाया गया कि –

* फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि 46 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 45 नग, 46 नग पम्पहाउस के सापेक्ष 44 नग, 46 नग बाउण्ड्रीवाल के सापेक्ष 44 नग, 36 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 31 नग, 417 किमी0 पाइप लाइन के सापेक्ष 424 किमी0 पाइप लाइन का कार्य तथा 19523 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 18851 नग का कार्य पूर्ण है, 32 नग पेयजल योजनाओं के 40 नग राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की की जा रही है। 15 नग पेयजल योजनाएं रख–रखाव एवं संचालन कार्य हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं।
* विकासखण्ड– सोहावल के पिरखौली पेयजल योजना पर द्वितीय नलकूप हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसे फर्म द्वारा भूमि क्रम किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है, जिसकी रजिस्ट्री जल निगम (ग्रामीण) के महामहिम राज्यपाल के पदनाम पर किया जाना है, जिसके सम्बन्ध में नियमों की जानकारी की जा रही है।

5. <u>आई0एस0ए0 –</u>

श्री इन्द्रभूषण वर्मा, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि पोस्ट इम्प्लीमेन्टेशन फेज का कार्य आई0एस0ए0 संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है। कुछ योजनाओं में सोशल ऑडिट का कार्य कराया गया है। समस्त आई0एस0ए0 संस्थाओं को सफलता की कहानी

उपलब्ध करानी थी, जिसके सम्बन्ध में आई0एस0ए0 संस्थाओं द्वारा 5–6 कहानियां उपलब्ध करायी गई हैं।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि समस्त फर्मों की पूर्ण की गई समस्त योजनाओं की नियमित जलापूर्ति एवं प्रेशर का निरीक्षण करते हुए आख्या प्रस्तुत करें।

कार्यालय– मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या

पत्रांक / / दिनांक :

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, अयोध्या।
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि अपने से सम्बन्धित क्षेत्र की योजनाओं में भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा भूमि विवादित है, का निस्तारण कराने का कष्ट करें।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि पूर्ण योजनाओं के हर घर जल प्रमाणीकरण हेतु ग्राम पंचायत सचिव से सत्यापन कराकर प्रमाणीकरण का कार्य कराएं।
6. डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0, अयोध्या।
7. टीम लीडर, टी0पी0आई0, अयोध्या यूनिट।
8. मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लि0 एवं रैमकी (जे0वी0), हैदराबाद, मेसर्स वी0एस0ए0– एस0सी0एल0 (जे0वी0), हैदराबाद, मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि0, मुम्बई, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक लि0,–गाजा इंजीनियरिंग प्रा0लि0 (जे.वी.), नोएडा–201301 (उ0प्र0)।

Digitally signed by Krishan Kumar Singh
Date: 02-04-2026 16:24:30

(कृष्ण कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
अयोध्या।